भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 722
गुरूवार, 08 फरवरी, 2024/19 माघ, 1945 (शक)

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, 2022-23

722. श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिलः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, 2022-23 के अनुसार शिक्षित आबादी के बीच अनुपात से कहीं अधिक बेरोजगारी दर है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा शैक्षिक और कौशल विकास कार्यक्रमों को रोजगार बाजार की बढ़ती मांग के अनुरूप बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास आर्थिक चुनौतियों और मुद्रास्फीति के मद्देनजर श्रमिकों की समग्र वित्तीय स्थिरता, विशेषकर आकस्मिक और नियमित वेतन, को बढ़ाने के लिए कोई लक्षित नीतियां अथवा पहल हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तर के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार हैः

(% में)

सामान्य शिक्षा स्तर	2021-22	2022-23
निरक्षर	0.4	0.2
साक्षर और प्राथमिक तक	1.0	0.5
पूर्व-माध्यमिक	2.6	1.7
माध्यमिक	3.4	2.2
उच्चतर माध्यमिक	6.3	4.6
माध्यमिक और उससे ऊपर	8.6	7.3
समस्त	4.1	3.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

ये आँकड़ें दर्शाते हैं कि विभिन्न शिक्षा स्तरों में बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति है।

सरकार ने कौशल भारत मिशन (एसआईएम) शुरू किया है जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को बाजार प्रासंगिक कौशल के साथ कुशल बनाना, उनका कौशल बढ़ाना और उसे उन्नत करना है जो उन्हें काम के माहौल में अधिक रोजगार योग्य और अधिक उत्पादक बनाता है।

कौशल भारत मिशन के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनः कौशल और उन्नत-कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है।

सरकार, ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है।

सरकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लेकर आई है जिसका उद्देश्य सभी शैक्षणिक संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करना है। पूर्व-माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय में शुरुआती उम्र में व्यावसायिकता की पहचान से शुरुआत करके, गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा में सुचारू रूप से एकीकृत किया जाएगा।

सरकार, समय-समय पर मजदूरी की न्यूनतम दरों की समीक्षा और संशोधन करती है और सभी रोजगारों में इसका कवरेज बढ़ाती है और न्यूनतम वेतन प्रदान करती है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों को संसद द्वारा पारित और दिनांक 08.08.2019 को अधिसूचित, वेतन संहिता अधिनियम, 2019 में पुनर्गठित और समामेलित किया गया है। वेतन संहिता, 2019, संगठित और असंगठित क्षेत्र के रोजगारों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और न्यूनतम वेतन प्रदान करती है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के तहत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत, दिनांक 17.11.2023 तक, 44.41 करोड़ से अधिक ऋण खाते स्वीकृत किए गए हैं।

सरकार, दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत दिनांक 23.11.2023 तक, 78.08 लाख ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

*****